सूचना के अधिकार अधिनियम–2005

o
o o
o o o
o o o o
o o o o o
o o o o
o o o
o o
o

मे न्यु अ ल

वर्ष 2009-10

o
o o
o o o
o
o o o
o o
o

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
नागदा शहर जिला उज्जैन

<u>सूचना के अधिकार अधिनियम–2005</u>

मेन्युअल

वर्ष 2009–10

<u>अ नु क्र म णि का</u>

बिन्दु क्रमांक संख्या	विवरण	पृश्ठ
एक	प्रशासनिक प्रतिवेदन	01
	परियोजना (विकास खण्ड) स्तरीय विभागीय संरचना	02
	कार्यालय की विभिन्न भााखाओं के कार्य व दायित्व	03
दो	कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की जानकारी	04
तीन	कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	05
चार	समय–सारणी	06
पॉच	कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम/नियम की सूची	07
छः	कार्यालय में संधारित विभिन्न अभिलेखों की सूची	08
सात	परामर्शदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी	09
आठ	कार्यालय के अन्तर्गत आनेवाले बोर्ड, परिशद व समितियों की जानकारी	10
नौ–दस	कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पदनाम व वेतन की जानकारी	11
ग्यारह	मदवार बजट आबंटन एवं उपयोग संबंधी जानकारी	12
बारह	परियोजना में संचालित योजनाओं की जानकारी	13–17
तेरह	वास्तविक हितग्राहियों की संख्या	18
चौदह	कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची	19
पन्द्रह	आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं	20
सोलह	लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी	21

बिन्दु कमांक–01

प्रशासनिक प्रतिवेदन

महिलाओं और बालक–बालिकाओं के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने एवं पर्याप्त गति देने के लिये प्रदेष में 15 अगस्त–1986 को महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया । महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत शासन के सहयोग से एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं प्रारंभ की गई है । उज्जैन जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना–नागदा शहर वर्ष 2005–06 में स्वीकृत हुई है । इस परियोजना के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक आयु समूह के बच्चों तथा गर्भवती व धात्री माताओं को 93 आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है । इस परियोजना में आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं :–

- पूरक पोषण आहार
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच
- सन्दर्भ सेवा
- स्वास्थ्य एवं पोषण आहार षिक्षा
- स्कूल पूर्व अनौपचारिक षिक्षा

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

01. 0 से 6 वर्ष तक आयु समूह के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना ।

02. बच्चों के सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना ।

03. बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना ।

04. माताओं में ऐसी क्षमता का विकास करना, जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनकी आहार संबंधी आवष्यकताओं का स्वास्थ्य और पोषण षिक्षा की सहायता से ध्यान रख सकें ।

05. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावषाली समन्वय स्थापित करना ।

बिन्दु कमांक–01

परियोजना (विकास खण्ड) स्तरीय विभागीय संरचना

बाल विकास परियोजना अधिकारी

सहायक सांख्यिकी अधिकारी

सहायक श्रेणी–एक

पर्यवेक्षक

सहायक श्रेणी–तीन

आंगनवाडी कार्यकर्ता

आंगनवाडी सहायिका

भृत्य

स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की स्थिति

अ.क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
01	परियोजना अधिकारी	द्वितीय	9300-34800 + 3600	01	01	00
02	सहायक सांख्यिकी अधि.	तृतीय	9300-34800 + 3600	01	00	01
03	पर्यवेक्षक	तृतीय	5200-20200 + 2400	01	01	00
04	संविदा पर्यवेक्षक	तृतीय	Rs. 5000/- PM	04	02	02
04	सहायक श्रेणी–3	तृतीय	5200-20200 + 1900	01	01	00
05	भृत्य	चतुर्थ	4400-7440 + 1300	01	01	00
		योग	**---**	**08**	**07**	**01**
06	आंगनवाडी कार्यकर्ता	–	2500/-	93	92	01
07	आंगनवाडी सहायिका	–	1250/-	93	93	00

बिन्दु कमांक–01

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य व दायित्व

क.	कर्मचारी का नाम व पद	शाखा	कार्य व दायित्व
1	2	3	4
1	श्री राजीव गुप्ता परियोजना अधिकारी .	सांख्यिकी, पोषण आहार व लाड़ली लक्ष्मी योजना	मासिक प्रगति प्रतिवेदन, पोषण आहार, आंगनवाडी भवन, 11 सूत्रीय कार्यक्रम, मंगल दिवस, स्व–सहायता समूह, लाड़ली लक्ष्मी योजना आदि।
2	श्रीमती आरती गौड़ एवं श्री नरेन्द्र केरोल	लेखा व स्थापना शाखा भण्डार व आवक जावक	क्षेबुक व अन्य लेखा पंजियों का संधारण, देयक तैयार करना, राषि का आहरण व संवितरण, मासिक व संकलित व्यय पत्रक, यात्रा भत्ता देयक, सामान्य भविष्य निधि, मानदेय, आंगनवाडी भवन किराया, सेवा पुस्तिका संधारण, अवकाश स्वीकृति प्रकरण, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, अंकेक्षण व निरीक्षण आदि । भण्डार पंजियों का संधारण आवक जावक पंजियों का संधारण ।
3	श्रीमती आरती गौड़ एवं श्री नरेन्द्र केरोल	स्थापना–2,	आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही, तथा उनकी व्यक्तिगत पत्रिकाओं का संधारण, प्रशिक्षण ।
क.	पर्यवेक्षक का नाम	प्रभार के अधीन पर्यवेक्षक क्षेत्र	कार्य व दायित्व
1	2	3	4
1	श्रीमती राहतखान	नागदा –।	आंगनवाडी केन्द्रों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण, गृह भेंट तथा आंगनवाडी केन्द्रों से संबंधित समस्त मासिक व सामयिक जानकारियां/प्रतिवेदन संकलित कर परियोजना को प्रस्तुत करना ।
2	श्रीमती राहतखान	नागदा–।।	
3	कु0 मोनिका रावत	नागदा–।।।	
4	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव	नागदा– IV	

बिन्दु कमांक–02

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की जानकारी

परियोजना में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर श्री राजीव गुप्ता माह दिसम्बर्र–2007 से पदस्थ व कार्यरत हैं । श्री राजीव गुप्ता बाल विकास परियोजना अधिकारी की परिलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

मूल वेतन	17,490/-
ग्रेड पे	3,600/-
महंगाई भत्ता (19 प्रतिशत)	4,007/-
मकान किराया भत्ता	346/-
अन्य भत्ते	000/-
कुल सकल वेतन	25,443/-

बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्य व दायित्व संक्षेप में निम्नानुसार हैं :–

01. परियोजना स्तर पर कार्यालय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का प्रभारी तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन व प्रषासनिक कार्यो की देखरेख करना ।

02. पर्यवेक्षक व आंगनवाडी कार्यकर्ता सहित पूरी परियोजना टीम का संचालन व इस उद्देष्य से क्षेत्रीय दौरे करना ।

03. परियोजना व आंगनवाडी केन्द्रों के रजिस्टरों व रिकार्डों का रखरखाव सुनिष्चित करना व निरीक्षण करना ।

04. पोषण आहार व अन्य सामग्री की आंगनवाडी केन्द्रों को आपूर्ति, वितरण व भण्डारण सुनिष्चित करना ।

05. समय–समय पर कार्यक्रम/योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठालय को भेजना ।

06. आंगनवाडी कार्यकर्ता व आंगनवाडी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रषिक्षण हेतु कार्यवाही करना ।

07. समय–समय पर क्षेत्रीय दौरे करना व मासिक दौरे का कार्यक्रम उच्च अधिकारी को भेजना ।

बिन्दु कमांक–03

कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रकिया

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

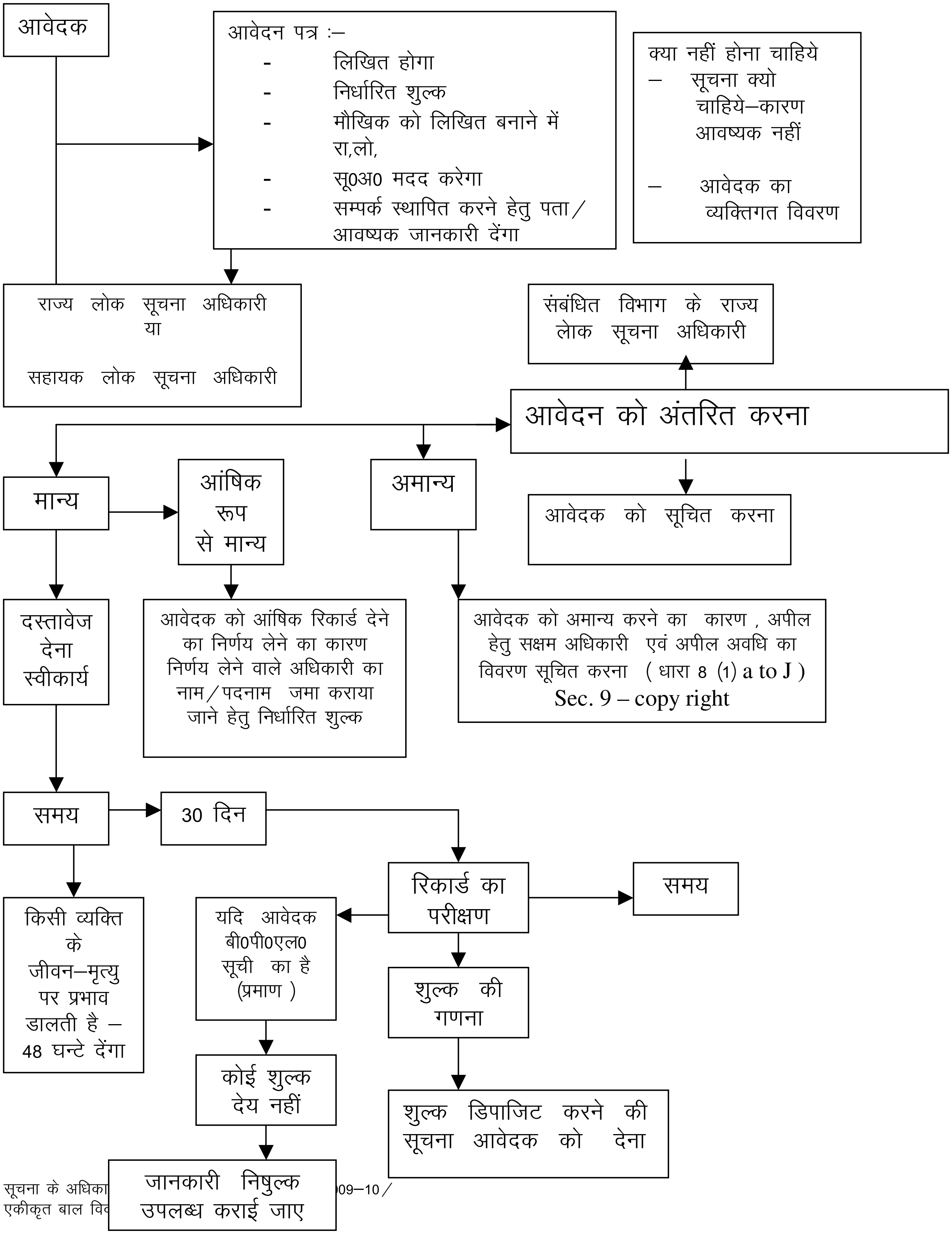

बिन्दु कमांक–04

समय–सारणी

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 के अन्तर्गत)

01. आवेदन–पत्र की प्राप्ति ।

02. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा ।

03. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 3 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा–8 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है ।

    शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न हो कर अन्य शाखा या विभाग से संबंधित है, तब ऐसी दषा में अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा ।

04. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम 3 कार्य दिवस में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे ।

05. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पष्चात् आवेदन के दिनांक से अधिकतम 30 कार्य दिवसों की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

    यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन के दिनांक से 5 कार्य दिवस में अंतरिक कर देंगे। साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे ।

बिन्दु कमांक–05

कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम/नियम की सूची

01. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाष) नियम–1977

07. मध्य प्रदेश यात्रा भत्ता नियम

13. मध्य प्रदेश भण्डार कय संधारण एवं अपलेखन नियम

19. महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास–मध्य प्रदेश –भोपाल से समय–समय पर प्राप्त होने वाले ज्ञापन/निर्देषश

बिन्दु कमांक–06

कार्यालय में संधारित विभिन्न अभिलेखों की सूची

क.	दस्तावेज का नाम	समाहित जानकारी
01	बिल रजिस्टर	देयकों (बिल्स) की प्रविष्ठी
02	कॉन्टीजेन्सी रजिस्टर	देयकों (बिल्स) की व्हाउचरवाईज प्रविष्ठी
03	केष–बुक	आय एवं व्यय से संबंधित प्रविष्ठी
04	पेड़ व्हाउचर फाईल	भुगतानित देयकों के व्हाउचर्स
05	कोषालयीन चेक पंजी	कोषालय से प्राप्त चेक्स की प्रविष्ठी
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयक पंजी	अधिकारियों / कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा देयकों की प्रविष्ठी
07	अस्थायी अग्रिम पंजी	कर्मचारियों को प्रदत्त अस्थायी अग्रिम की प्रविष्ठी
08	वेतन वृद्धि पंजी	कर्मचारियों को स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्ठी
09	सामान्य भविष्य निधि कटोत्रा पंजी	कर्मचारियों के वेतन से वसूल किये जाने वाले सामान्य भविष्य निधि अंषदान की प्रविष्ठी
10	वेतन पंजी	कर्मचारियों को भुगतानित वेतन की प्रविष्ठी
11	सेवा पुस्तिका	कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों का सेवा अभिलेख
12	सामान्य भविष्य निधि पास–बुक	कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अषदान का लेखा–जोखा
13	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति का इन्द्राज
14	आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाश पंजी	कर्मचारियों को स्वीकृत आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाष की प्रविष्ठी
15	पोषण आहार स्टॉक पंजी	प्राप्त व वितरित पोषण आहार की प्रविष्ठी
16	स्थायी सामग्री पंजी	क्रय / प्राप्त स्थायी सामग्री व वितरण की प्रविष्ठी
17	स्टेषनरी स्टॉक पंजी	क्रय / प्राप्त स्थायी सामग्री व वितरण की प्रविष्ठी
18	आवक पंजी	कार्यालय को प्राप्त पत्रों का इन्द्राज
19	जावक पंजी	कार्यालय से प्रेषित पत्रों का इन्द्राज
20	सर्विस पोस्टेज स्टाम्प पंजी	कार्यालय से प्रेषित पत्रों पर व्यय पोस्टेज स्टाम्प का लेखा जोखा
21	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की पंजी	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् प्राप्त आवेदन–पत्रों का इन्द्राज

बिन्दु कमांक–07

परामर्शदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी

निरंक

बिन्दु कमांक–08

कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले बोर्ड, परिषद एवं समितियों की जानकारी

निरंक

बिन्दु कमांक–09 व 10

कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं वेतन की जानकारी

(माह नवम्बर–2009 के वेतन देयक अनुसार)

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सकल वेतन	शुद्ध वेतन
1	2	3	4	5
01	श्री राजीव गुप्ता	परियोजना अधिकारी	25,443/-	21043/-
02	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक	18878/-	17578/-
03	श्रीमती रात खां	पर्यवेक्षक (संविदा)	5000/-	5000/-
04	कु0 मोनिका रावत	पर्यवेक्षक (संविदा)	5000/-	5000/-
05	श्रीमती आरती गोड़	सहायक श्रेणी–3	8571/-	7611/-
06	श्री नरेन्द्र कैरोल	भृत्य	10099/-	9299/–

बिन्दु कमांक–11

मदवार बजट आबंटन एवं उपयोग संबंधी जानकारी

(माह अक्टूबर–2009 के मासिक व्यय पत्रक अनुसार)

क.	मद	लेखा शीर्ष	प्राप्त आबंटन	उपयोग (व्यय)
1	2	3	4	5
01	वेतन–भत्ते	55-2235-0658-11	1545440/-	711172/-
02	मजदूरी	55-2235-0658-12	10,290/-	7433/-
03	यात्रा भत्ता	55-2235-0658-21	89200/-	0/-
04	कार्यालय व्यय	55-2235-0658-22	40,000/-	18789/-
05	पीओएल/वाहन दुरूस्ती	55-2235-0658-22-009	2,15,000/-	1000/-
06	किराया महसूल व कर	55-2235-0658-22-011	08,10,000/-	3,52,200/-
07	मानदेय	55-2235-0658-31-004	27,35,000/-	2320486/-
08	सामग्री व पूर्ति	55-2235-0658-34-009	36000/-	36000/-
09	विज्ञापन व प्रचार	55-2235-0658-35	5,000/-	0/-
10	फ्लेक्सी फण्ड्स	64-2235-0658-51	0/-	0/-
		Total (1)	**5485930**	**3447080**
11	पोषण आहार	55-2236-9050-34-004	11500	11500
12	प्रोत्साहन राषि	55-2235-5643-31-004	810000	810000
13	किशोरी शक्ति योजना	55-2235-9248-24-002	155000	54710
14	मंगल दिवस	64-2210-5094-51-000	216000	144000
15	उषा किरण योजना	55-2235-5063-51-000	6000	0
16	उषा किरण योजना	55-2235-5063-51-000	0	0
17	महिला जागृति षिविर	55-2235-9944-26-000	5000	0
		Total (2)	1203500	1020210
		GRAND Total	10971860	6894160

बिन्दु कमांक–12

परियोजना में संचालित योजनाओं जानकारी

पोषण आहार

(1) पूरक पोषण आहार

शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में कुंमकुंम तुलसी महिला मण्डल के माध्यम से ताजा पका हुआ नाष्ता एवं भोजन हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है । इस प्रकार कुंमकुंम तुलसी महिला मण्डल द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों को नाष्ता एवं भोजन तैयार कर प्रदाय करने की व्यवस्था है इस व्यवस्था के तहत् आंगनवाडी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को प्रतिदिन नाष्ता एवं ताजा पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है । तथापि मंगल दिवस (मंगलवार) को आंगनवाडी केन्द्र में आने वाले सभी हितग्राहियों (गर्भवती व धात्री महिलाएं, 6 माह सें 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे तथा किशोरी बालिकाएं) को पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है । उपरोक्त पोषण आहार, निम्नांकित मीनू के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है :–

दिन	नाष्ता	भोजन
सोमवार	गेंहू सोया वर्फी	पौष्टिक पोहा
मंगलवार	वेसन आटा लडडू	पौष्टिक हलवा
बुधवार	नमकीन खिचड़ी	पौष्टिक नामकीन लाप्सी
गुरूवार	गेंहू सोया वर्फी	पौष्टिक उपमा
शुक्रवार	नमकीन खिचड़ी	पौष्टिक मीठी लाप्सी
शनिवार	वेसन आटा लडडू	पौष्टिक दाल चावल

उपरोक्त निर्धारित मीनू अनुसार नाश्ता प्रतिदिन प्रातः 9 से 10 बजे के मध्य तथा भोजन प्रतिदिन अपरान्ह 12 से 1 बजे महिला मण्डल द्वारा आंगनवाडी केन्द्र को उपलब्ध कराया जाता है ।

(2) टेक होम राशन व्यवस्था

इस व्यवस्था के तहत् एम.पी.एग्रो द्वारा निम्न 6 प्रकार का पोषण आहार सील्ड पेकिंग में गर्भवती व धात्री महिलाओं, किषोरी बालिकाओं तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिये प्रदाय किया जा रहा है :–

कमांक	पोषण आहार सामग्री	हितग्राही वर्ग
01	गेहूँ सोया बर्फी	गर्भवती व धात्री माताएं व किशोरी बालिकाएं
02	आटा बेसन लड्डू	गर्भवती व धात्री माताएं व किशोरी बालिकाए
03	खिचड़ी	गर्भवती व धात्री माताएं व किशोरी बालिकाए
04	खिचड़ी	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे
05	हलवा	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे
06	बाल आहार	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे

उक्त पोषण आहार सामग्री का वितरण टेक होम राषन के रूप में उपरोक्त हितग्राहियों को आंगनवाडी केन्द्र से किया जाता है ।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य, बालिका जन्म को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बालिका भेदभाव की रोकथाम है । मध्य प्रदेश के मूल निवासी परिवार में 1 जनवरी–2006 के बाद जन्म लेने वाली बालिका निम्न शर्तो के साथ योजना में पात्रता रखती है –

- बालिका सहित परिवार में जीवित बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा न हो,
- माता पिता में से किसी एक ने नसबंदी करा ली हो,
- परिवार आय–कर दाता न हो,
- या प्रदष के किसी अनाथालय अथवा किसी बालिका अनुरक्षण गृह में निवासरत 1 जनवरी–2006 के बाद जन्मी बालिका ।

शासन द्वारा 1 अप्रैल–2008 से लाडली लक्ष्मी योजना में निम्नानुसार संषोधन किये गये हैं –

01. 1 अप्रैल–2008 के बाद जन्मी बालिका, जो दम्पत्ति की पहली ही संतान हो, वह भी लाड़ली लक्ष्मी योजना में पात्रता रखेगी, तथापि दूसरी संतान की स्थिति में परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य होगी ।

02. 1 अप्रैल–2008 के बाद जन्मी बालिका, जो दम्पत्ति की पहली ही संतान हो वह भी लाड़ली लक्ष्मी योजना में पात्रता रखेगी, तथापि दूसरी संतान की स्थिति में परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य होगी ।

03. पात्र बालिका के माता अथवा पिता की मृत्यु की स्थिति में परिवार नियोजन आवष्यक नहीं होगा ।

04. संतानहीन दम्पत्ति द्वारा वैद्यानिक रूप से दत्तक ली गई बालिका की स्थिति में परिवार नियोजन की शर्त षिथिल रहेगी ।

महिला जागृति शिविर

महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने तथा साथ ही उन्हें सामाजिक कुरीतियों व महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देष्य से महिला जागृति षिविरों का आयोजन किया जाता है । दहेज प्रथा, बाल

विवाह आदि सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु शासन द्वारा बनाये गये कानूनों की जानकारी जन–सामान्य को देने हेतु प्रदर्षनी, कठपुतली एवं लोकगीत का आयोजन

भी इन जागृति षिविरों में किया जाता है, ताकि इन सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध वातावरण तैयार कर जन–जागृति लाई जा सके ।

स्व–सहायता समूह

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कुछ महिलाओं का एक समूह गठित किया जाता है । समूह की महिलाओं में बचत की आदत डालने तथा आपस में आवश्यकता एवं रूचि के अनुसार स्व–रोजगार एवं परम्परागत/गैर–परम्परागत व्यवसाय (जैसे–भैंस पालन, बकरी पालन, दोना–पत्तल निर्माण, किराना दुकान, खाद–बीज विकय आदि) करने हेतु प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके । इस हेतु समूह को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है ।

किशोरी शक्ति योजना

इस योजना के तहत् प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र ग्राम से 11 से 18 वर्ष आयु समूह की 2 किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य की देखभाल, संतुलित भोजन व आर्थिक स्वावलम्बन हेतु 2 दिवसीय प्रषिक्षण विकास खण्ड स्तर पर दिया जाता है । इस प्रषिक्षण में पर्यवेक्षक, एएनएम व आंगनवाडी कार्यकर्ता को भी सम्मिलित किया जाता है । किशोरी स्वास्थ्य और संतुलित आहार, महिला स्व–सहायता समूह एवं आर्थिक स्वावलम्बन योजनाएं, बाल विवाह के दुष्परिणाम, जनसंख्या स्थिरीकरण, किषोरावस्था की स्वास्थ्य समस्याएं व उपचार आदि विषयों पर प्रषिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उक्त प्रशिक्षण में दिया जाता है ।

योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक वार्ड की 18 किषोरी बालिकाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रषिक्षण, विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में प्रषिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाता है । इस प्रषिक्षण के दौरान एएनएम द्वारा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन फोलिस एसीड टेबलेट तथा आवश्यक होने पर डिवॉर्मिंग टेबलेट भी उपलब्ध कराई जाती है । प्रथम दृष्ट्या कोई किषोरी बालिका गंभीर बीमारी से पीड़ित पाई जाने पर उसे प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफर किया जाता है । यह प्रषिक्षण विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत एक–एक माह के अंतराल पर दिये जाते हैं ।

मंगल दिवस कार्यकम

सामुदायिक सहभागिता अर्जित करने तथा विभागीय योजनाओं में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उद्देष्य से वर्ष 2007–08 से मंगल दिवस कार्यकम प्रारंभ किये गये हैं ।

मंगल दिवस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ मंगलवार को क्रमषः निम्नानुसार आयोजन आंगनवाडी केन्द्रों में किये जाते हैं –

बिन्दु क्रमांक–12 परियोजना में संचालित योजनाओं की जानकारी

प्रथम मंगलवार – गोद भराई कार्यक्रम :

माह के प्रथम मंगलवार को आंगनवाडी केन्द्र में गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें गर्भवती माता की गोद भराई समारोहपूर्वक की जाती है । गोद भराई के दौरान मंगल गीत गाए जाते हैं तथा गर्भवती महिला को उसके पोषण एवं स्वास्थ्य की सलाह के साथ–साथ आयरन की गोलियां, एमसीपी कार्ड एवं चूडी, बिन्दी व मेहन्दी आदि सामग्री दी जाती है ।

द्वितीय मंगलवार – अन्नप्राशन कार्यक्रम :

6 माह की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का अन्न प्राशन, माह के द्वितीय मंगलवार को आंगनवाडी केन्द्र में किया जाता है । इस दौरान बच्चे की माता को उपरी आहार प्रारंभ करने, उपरी आहार में क्या–क्या दिया जाना है, तथा दिया जाने वाला आहार क्यों आवश्यक है, इस बारे में सलाह व समझाईष दी जाती है । अन्न प्राषन कार्यक्रम का आयोजन समारोहपूर्वक किया जा कर बच्चे को कटोरी–चम्मच उपहार में दिया जाता है ।

तृतीय मंगलवार – जन्म दिवस कार्यक्रम :

आंगनवाडी केन्द्र में संबंधित माह में जन्मे सभी बच्चों का जन्म दिवस माह के तृतीय मंगलवार को आंगनवाडी केन्द्र में एक साथ मनाया जाता है, जाकि बच्चे को अपने जन्म के बारे में जानकारी हो, माता–पिता की जागरूकता बढ़े तथा सभी बच्चे उत्साहपूर्वक आयोजन में भाग ले सकें ।

चतुर्थ मंगलवार – किशोरी बालिका दिवस :

माह के चतुर्थ मंगलवार को आंगनवाडी केन्द्र में किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है । इस अवसर पर किषोरी बालिकाओं को उनकी माता सहित आमंत्रित कर स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा के बारे में सलाह व समझाईष दी जाती है

उषा किरण योजना

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, शारीरिक, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक या फिर धमकियां, जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर, इन सबसे महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण एवं सहायता के लिये प्रदेष सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से उषा किरण योजना प्रारंभ की गई है ।

बिन्दु कमांक–12 परियोजना में संचालित योजनाओं की जानकारी

पीड़ित को महिला संरक्षण अधिनियम–2005 एवं 2006 के प्रावधानों के अनुरूप अस्थाई आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, आवश्यक प्रशिक्षण व पुर्नवास आदि कार्यवाही उषा किरण योजना के तहत् की जाने का प्रावधान है । सहायता हेतु पीड़ित व्यक्ति 24 घण्टे चालू हेल्प डेस्क अथवा संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना) से सम्पर्क कर सकते हैं ।

बिन्दु कमांक–13

वास्तविक हितग्राहियों की संख्या

पोशण आहार

कमांक	योजना / मद	हितग्राही	
		आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज	पोषण आहार से लाभान्वित
01	गर्भवती माताएं	846	840
02	धात्री माताएं	993	985
03	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे		
	बालक	2426	2330
	बालिका	2358	2262
04	3 से 6 वर्ष के बच्चे		
	बालक	2951	2899
	बालिका	2698	2650

लाड़ली लक्ष्मी योजना

वर्ष	प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण
2007–08	90	64
2008–09	264	254
2009–10	268	220
योग	622	538

मंगल दिवस कार्यकम

कमांक	मंगल दिवस	हितग्राही संख्या
01	गोद भराई दिवस	98
02	अन्न प्राषन कार्यक्रम	138
03	जन्म दिवस कार्यक्रम	345
04	किशोरी बालिका दिवस	475
	योग	1056

बिन्दु कमांक–14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची

कमांक	योजना / जानकारी का नाम	शाखा
01	मासिक व संकलित व्यय पत्रक	लेखा
02	मासिक प्रगति प्रतिवेदन (कम्प्युटराईज्ड)	सांख्यिकी
03	मंगल दिवस कार्यक्रम की जानकारी	सांख्यिकी
04	कुपोषण संबंधी जानकारी	सांख्यिकी
05	योजनाओं / कार्यक्रमों से लाभान्वितों की वर्गवार जानकारी	सांख्यिकी
06	जन्म मृत्यु / षिषु मातृ मृत्यु की जानकारी	सांख्यिकी
07	गर्भावस्था / प्रसव के दौरान माता की मृत्यु के कारणों की जानकारी	सांख्यिकी
08	एक माह से कम / एक वर्ष से कम आयु में बच्चों की मृत्यु के कारणों की जानकारी	सांख्यिकी
09	किशोरी शक्ति योजना की जानकारी	सांख्यिकी
10	टेक होम राषन वितरण	पोषण आहार
11	एम.पी.एग्रो के माध्यम से प्राप्त पोषण आहार की जानकारी	पोषण आहार
12	पोषण आहार की मासिक जानकारी	पोषण आहार
13	लोकल फूड मॉडल के आधार पर वितरित पूरक पोषण आहार की मासिक जानकारी	पोषण आहार
14	आंगनवाडी कार्यकर्ता व आंगनवाडी सहायिका के स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की जानकारी	स्थापना–2
15	आंगनवाडी कार्यकर्ता व आंगनवाडी सहायिका के प्रषिक्षण की जानकारी	स्थापना–2

बिन्दु कमांक–15

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं

सुविधा	सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारी का नाम व पद	सूचना प्राप्ति का समय	कार्यालय का दूरभाष कमांक
1	2	3	4
मौखिक या आवेदन करने पर लिखित में सूचना उपलब्ध कराना	श्री राजीव गुप्ता परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना नागदा शहर, जिला उज्जैन, संभाग उज्जैन	प्रातः 10.30 से सायं 5.30 तक	07366–241088

बिन्दु कमांक–16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4
विकास खण्ड / परियोजना	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना नागदा शहर	––	कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन

बिन्दु कमांक–17

प्रासंगिक जानकारी – जिसका संबंध आम नागरिक से है

01. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक, नियुक्त लोक सूचना अधिकारी (परियोजना अधिकारी–एकीकृत बाल विकास सेवा योजना–नागदा शहर जिला उज्जैन को लिखित प्रारूप में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर विहित सूचना/अभिलेख की प्रति प्राप्त कर सकता है । आवेदन–पत्र का प्रपत्र, लोक सूचना अधिकारी कार्यालय (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना–नागदा शहर से विहित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन–पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा ।

02. अधिनियम की धारा–8 में उल्लेखित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेख की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी । आवेदक विषयान्तर्गत इस आदेष के विरूद्ध अपील कर सकेगा ।

03. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही जाने वाली जानकारी शुल्क से विमुक्त रहेगी । सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कठिनाई या समस्या के लिये लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं ।